संख्या-265 /2025/1747/22-2-2022-17(1668)/2022

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 12 मार्च, 2025

विषयः- जिला कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गुड्डा सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह जनपद-शाहजहाँपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-21667/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-07.06.2022), दिनांक 04.07.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये जिला कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गुड्डा सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह, जो ग्राम-हुसैनपुर (हथैल) थाना-कांट जनपद-शाहजहाँपुर का निवासी है। ऊधार रूपये वापस न किये जाने की रंजिश को लेकर दिनाक 07.12.2006 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर तमन्चे से गोली मारकर सोबरन सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा जितेन्द्र सिंह उर्फ दद्दू को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-557/2007 व 359/2007 भा0द0वि0 की धारा-302/34 व 25 आर्म्स एक्ट में मा0 न्यायाधीश, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट) कोर्ट नं0-21 शाहजहाँपुर के आदेश दिनांक 30-09-2014 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बन्दी ने दिनांक 08-02-2021 तक 14 वर्ष 01 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष 00 माह 11 दिन की सपरिहार सजा पूरी कर ली है।

जिला मजिस्ट्रेट शाहजहांपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 22.12.2021 में जिला प्रोबेशन अधिकारी पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने भविष्य में अपराध करने का अवसर होने पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

बोर्ड का अभिमत है कि ऊधार रूपये वापस न किये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 07.12.2006 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर तमन्चे से गोली मारकर सोबरन सिंह नामक व्यक्ति की हत्या तथा जितेन्द्र सिंह को घायल करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा समिति की 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी गुड्डा सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार में बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गुड्डा सिंह (बन्दी संख्या-576/2018) पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह जनपद-शाहजहाँपुर की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-265/2025/1747(1)/22-2-2022-17(1668)/2022,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-265/2025/1747/22-2-2022-17(1668)/2022

दिनांकः 12 मार्च, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार में बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गुड्डा सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह, जो ग्राम-हुसैनपुर (हथैल) थाना-कांट जनपद-शाहजहाँपुर का निवासी है। ऊधार रूपये वापस न किये जाने की रंजिश को लेकर दिनाक 07.12.2006 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर तमन्चे से गोली मारकर सोबरन सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा जितेन्द्र सिंह उर्फ दद्दू को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-557/2007 व 359/2007 भा0द0वि0 की धारा-302/34 व 25 आर्म्स एक्ट में मा0 न्यायाधीश, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट) कोर्ट नं0-21 शाहजहाँपुर के आदेश दिनांक 30-09-2014 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बन्दी ने दिनांक 08-02-2021 तक 14 वर्ष 01 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष 00 माह 11 दिन की सपरिहार सजा पूरी कर ली है।

जिला मजिस्ट्रेट शाहजहांपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 22.12.2021 में जिला प्रोबेशन अधिकारी पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने भविष्य में अपराध करने का अवसर होने पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

बोर्ड का अभिमत है कि ऊधार रूपये वापस न किये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 07.12.2006 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर तमन्चे से गोली मारकर सोबरन सिंह नामक व्यक्ति की हत्या तथा जितेन्द्र सिंह को घायल करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा समिति की 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यताए जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी गुड्डा सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।